



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 675]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 2009/अग्रहायण 4, 1931

No. 675]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2009/AGRAHAYANA 4, 1931

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 843(अ).—केन्द्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटरी (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. नोटरी नियम, 1956 और इससे उपाबद्ध प्ररूप 2ख में "भारत सरकार का अपर सचिव/सरकार का सचिव..... (राज्य का नाम)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "सक्षम प्राधिकारी (नोटरी) भारत सरकार/सरकार का सचिव..... (राज्य का नाम)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 5(187)2003-एन.सी.]

सतीश चंद्र, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. का.नि.आ. 324 तारीख 14 फरवरी, 1956 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 370 (अ) तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547 (अ) तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17(अ) तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262 (अ) तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630 (अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001,

सा.का.नि. 330 (अ) तारीख 9 मई, 2001, सा.का.नि. 460(अ) तारीख 25 जून, 2001, सा.का.नि. 467(अ) तारीख 9 जून, 2003, सा.का.नि. 296 (अ) तारीख 19 मई, 2006, सा.का.नि. 441(अ) तारीख 24 जुलाई 2009, सा.का.नि. 501 (अ) तारीख 24 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 73 (अ) तारीख 9 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 86 (अ) तारीख 14 फरवरी, 2007 और सा.का.नि. 330 (अ) तारीख 8 मई, 2007 के साथ पठित, सा.का.नि. 319 (अ) तारीख 1 मई, 2007, सा.का.नि. 686 (अ) तारीख 31 अक्टूबर, 2007, सा.का.नि. 51 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2008, सा.का.नि. 636 (अ) तारीख 3 सितम्बर, 2008, सा.का.नि. 764 (अ) तारीख 3 नवम्बर, 2008, सा.का.नि. 114 (अ) तारीख 24 फरवरी 2009, और सा.का.नि. 700 (अ) तारीख 24 सितम्बर 2009, द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2009

G.S.R. 843(E).— In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Third Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956 in Form IIB appended thereto, for the words and brackets "Additional Secretary

to the Government of India/Secretary to the Government of ..... (Name of the State),” the words and brackets “Competent Authority (Notaries), Government of India/ Secretary to the Government of ..... (Name of the State)” shall be substituted.

[F.No. 5(187)/2003-NC]

SATISH CHANDRA, Jt. Secy.

Note :— The principal Rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324 dated the 14th February, 1956 and subsequently amended by G.S.R. 370(E) dated the 8th July, 1997, G.S.R. 547(E) dated the 31st August, 1998, G.S.R. 17(E) dated the 5th January, 2000, G.S.R. 262(E) dated the 28th March, 2000, G.S.R. 630(E) dated the 21st July, 2000, G.S.R.

172(E) dated the 12th March, 2001, G.S.R. 330(E) dated the 9th May, 2001, G.S.R. 460(E) dated the 25th June, 2001, G.S.R. 467(E) dated the 9th June, 2003, G.S.R. 296(E) dated the 19th May, 2006, G.S.R. 441(E) dated the 24th July, 2009, G.S.R. 501(E) dated the 24th August, 2006, G.S.R. 73(E) dated the 9th February, 2007, G.S.R. 86(E) dated the 14th February, 2007, G.S.R. 319(E) dated the 1st May, 2007 read with G.S.R. 330(E) dated the 8th May, 2007, G.S.R. 686(E) dated the 31st October, 2007, G.S.R. 51 (E) dated the 23rd January, 2008, G.S.R. 636(E) dated the 3rd September, 2008, G.S.R. 764(E) dated the 3rd November, 2008, G.S.R. 114(E) dated the 24th February, 2009 and G.S.R. 700(E) dated the 24th September, 2009.